ऑन लाईन नं.GCMS2022/289

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 31/2022

श्रीसंदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. मनीष महेश्वरी पुत्र श्री ओम प्रकाश **—खाद्यकारोबारकर्ता एवं मैनेजर—**
   निवासी 700बी, अशोक नगर, नियर बीआर माडल स्कूल, मीरा चौक, श्रीगंगानगर
   मै0 नेचुरलैण्ड आर्गेनिक फूड्स प्रा. लि., डी—325,326 रिको एग्रो फूड पार्क, श्रीगंगानगर
2. अजीत गोदारा **—निदेशक—**
   निवासी 2 एच ए, वीपीओ मदेरां, 2 एच ई, गंगानगर, राजस्थान
   मै0 नेचुरलैण्ड आर्गेनिक फूड्स प्रा. लि., डी—325,326 रिको एग्रो फूड पार्क, श्रीगंगानगर
3. अरविन्द गोदारा **—निदेशक—**
   मै0 नेचुरलैण्ड आर्गेनिक फूड्स प्रा. लि., डी—325,326 रिको एग्रो फूड पार्क, श्रीगंगानगर
4. **मै0** नेचुरलैण्ड आर्गेनिक फूड्स प्रा. लि., डी—325,326 रिको एग्रो फूड पार्क, श्रीगंगानगर

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(2)/51

निर्णय **दिनांक : 03.05.2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा जरिये राज0 राज—पत्र अधिसूचना दिनांक 31.07.2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिसुचित किया है जिसमें क्रम संख्या 57 पर मेरा नाम अंकित है (सत्यापति छायाप्रति सलंग्न है)।

श्री संदीप अग्रवाल को आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा जरिये राज0 राज—पत्र अधिसूचना दिनांक 18.08.2011 के द्वारा कार्य क्षेत्र अधिसूचित किया गया एवं आदेश क्रमांक 308 दिनांक 04.09.2017 एवं 321 दिनांक 13.09.2017 के द्वारा मेरा कार्य क्षेत्र केन्द्रीय दल निदेशालय जयपुर किया गया था जिसके अनुसार समस्त राजस्थान मेरा कार्यक्षेत्र है।

आवेदक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.06.2022 को 01.00 पीएम पर **मै0 नेचुरलैण्ड आर्गेनिक फूड्स प्रा. लि., डी—325, 326 रिको एग्रो फूड पार्क, श्रीगंगानगर** पर पहुचें। संस्थान पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से श्री मनीष महेश्वरी पुत्र श्री ओम प्रकाश माहेश्वरी, निवासी 700 बी अशोक नगर, मीरा चौक, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला। मनीष माहेश्वरी ने स्वयं को **मै0** नेचुरलैण्ड आर्गेनिक फूड्स प्रा. लि., डी—325,326 रिको एग्रो फूड पार्क, श्रीगंगानगर का खाद्य कारोबारकर्ता एवं मेनेजर होना बताया। मौके पर उसने वास्ते

निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसैंस, एवं अन्य दस्तावेजों स्वयं प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत कि जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर संस्थान में लगभग 10 किलो के 35 कट्टे आर्गेनिक **दालचीनी** आम जनता के विक्रय हेतु उपलब्ध में से अवमानक का शक होने पर इसकी जांच कराने के लिए एक कट्टे को खुलवाकर 02 किलोग्राम **दालचीनी** वास्ते नमूना जांच संख्या **के–1519** नियमानुसार नमूनीकरण हेतु खरीदने के लिए गवाहान के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 05ए देने से पहले विक्रेता एवं मालिक व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना खाद्य पदार्थ **दालचीनी** वास्ते जांच एफएसएसएक्ट के तहत खरीद किया जा रहा है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रूबरू गवाह के सामने खाद्य कारोबारकर्ता एवं मेनेजर को रुपए 924/– नगद देकर उसमें से 02 किलोग्राम **दालचीनी** वास्ते नमूना जांच चार साफ सूखी प्लास्टिक की बोतल में खरीदा और रूपयों की रसीद प्राप्त की, जिस पर आवेदक, गवाह तथा विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर हैं। खाद्य कारोबारकर्ता एवं मेनेजर व गवाह के रूबरू खरीदशुदा 02 किलोग्राम **दालचीनी** को 04 प्लास्टिक की बोतलों में बराबर–बराबर डाला, प्रत्येक बोतल के मुंह पर ढक्कन लगा कर कस कर एयरटाइट बंद किया। प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर लेबल चिपकाए जिस पर डीओ के कोड व सीरियल नंबर **के–1519** खाद्य पदार्थ दालचीनी का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। आवेदक, गवाह और विक्रेता एवं मालिक ने लेबल पर हस्ताक्षर किए। प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार खाकी कागज में लपेटकर उस पर अभिहीत अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप नमूना कोड एवं क्रमांक **के–1519** नीचे से उपर तक नियमानुसार गोलाई में गोंद से चिपकाई प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई। प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किए एवं विक्रेता एवं मालिक के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाए तथा चारों नमूनों को सीलबंद अवस्था में अपने कब्जे में किया। समस्त कार्यवाही की मौका फर्द मौके पर तैयार की जिसे पढकर, पढाकर, समझाकर एवं सही मानकर होश हवास में आवेदक, गवाह व भागीदार ने हस्ताक्षर किए। जिस सील से नमूना के–1519 सील चपड़ी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की प्रतियां तैयार की जिन पर खाद्य विश्लेषक, बीकानेर का पता अंकित किया गया एवं जिस सिल से नमूना सिल्ड किया गया उसका सिल इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नं. 06 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनों को पुनः आउटर कवर में लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी से सिल्ड किया गया। फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में रखकर सिल चपड़ी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, बीकानेर का पता अंकित किया गया। उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा अगले कार्य दिवस को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला बीकानेर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की ।के–1519 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहीत अधिकारी श्रीगंगानगर को अगले कार्य दिवस को एवं चतुर्थ भाग अगले कार्य दिवस को जमा कराए गए, जिनकी प्राप्ती रसीद दोनों अलग–अलग मूल संलग्न है।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/728/एक्ट/2022/728 दिनांक 23.06.2022 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–1519 दालचीनी अमानक स्तर** Sub-Standard Food होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त मनीष माहेश्वरी व अन्य, मै. नेचुरलेण्ड आर्गेनिक फूड्स प्रा. लि., डी–325, 326 रिको एग्रो फूड पार्क,

श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **दालचीनी** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 29.11.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थीगण की फर्म नेचरलेण्ड ओरगेनिक फूडस प्राईवेट लिमिटेड, डी 325–326 रीको, एग्रो फूड पार्क, श्रीगंगानगर में स्थित है। कुछ समय पूर्व उक्त फर्म पर दौराने जांच खाद्य पदार्थ दालचीनी जो कि बाद जांच में सब स्टेन्डर्ड पाया गया। जिसके आधार प्रार्थीगण को 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)/51 का उल्लंघन किया जाना मानकर उपरोक्त धारा में कार्यवाही कर नोटिस दिया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त दालचीनी के निर्माण में सुधार कर लिया गया है तथा आईन्दा से भी भविष्य में उसमें सुधार के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए हैं तथा उन्हे हर संभव अच्छी क्वालिटी व स्टेन्डर्ड का बनाया जावे, इसके लिए हर संभव प्रयासर रहेंगे। प्रार्थीगण आईन्दा से भविष्य में सब स्टेन्डर्ड क्वालिटी की दालचनी का निर्माण व विक्रय नहीं करेंगे। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से अर्ज है कि प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण कर पत्रावली दाखिल दफ्तर फरमाई जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **दालचीनी** का सैम्पल **के–1519** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/728/एक्ट/2022/728 दिनांक 23.06.2022 द्वारा Sub-Standard Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/51 उल्लंघन किया है तथा जुर्माने योग्य अपराध है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त दालचीनी के निर्माण में सुधार कर लिया गया है तथा आईन्दा से भी भविष्य में उसमें सुधार के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए हैं तथा उन्हे हर संभव अच्छी क्वालिटी व स्टेन्डर्ड का बनाया जावे, इसके लिए हर संभव प्रयासर रहेंगे। प्रार्थीगण आईन्दा से भविष्य में सब स्टेन्डर्ड क्वालिटी की दालचनी का निर्माण व विक्रय नहीं करेंगे। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से अर्ज है कि प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण कर पत्रावली दाखिल दफ्तर फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Dalchini"Code No and Sr. No. K-1519 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard Food as it does not Conform to the prescribed Standard of Food Safety and standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations 2011 and presence of outer bark** पाया गया है। स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्तगण संयुक्त रूप से एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध के दोषी पाए जाते हैं। फलतः अभियुक्तगण को संयुक्त रूप से खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 1,25,000–00 (अखरे रूपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **दालचीनी** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा०)
श्रीगंगानगर